(५)

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री बृजमोहन बैरवा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 55/2017 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
दायर दिनांक 29.12.2017
निर्णय दिनांक 22..01.2018

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री अरूण छाबडा पुत्र श्री सोहनलाल छाबडा (विक्रेता एवं मालिक)
   मैसर्स बाबा बैकर्स ट्रक स्टेण्ड के पास एन.एच.8 भीम जिला राजसमन्द
2. श्री गुरूमुखदास उत्तमचन्दानी पुत्र गंगाराम उत्तमचन्दानी (मालिक)
   मैसर्स गंगाराम एण्ड कम्पनी अग्रसेन बाजार ब्यावर जिला अजमेर
3. श्री राज कुमार मूथा (मालिक)
   मैसर्स रामविलास भवराज मूथा 16 शहीद राजाराम ब्लाक मण्डोर मण्डी जोधपुर
4. श्री भंववानी शंकर शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार (नोमिनी)
   मैसर्स बृंदा एक्सपोटर्स लिमिटेड लिमिटेड दूकान नं. 34 के पीछे कृषि मण्डी सुमेरपुर जिला पाली
5. नोमिनी जरिये फर्म मैसर्स बृंदा एक्सपोटर्स लिमिटेड लिमिटेड दूकान नं. 34 के पीछे कृषि मण्डी सुमेरपुर जिला पाली

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री श्रीराम मिश्रा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सब स्टेण्र्डड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री अरूण छाबडा पुत्र श्री सोहनलाल छाबडा (विक्रेता एवं मालिक) जो की वनस्पति (ऑस्कर) बेकरी उत्पाद बेचने का कार्य करता है । इनकी दूकान मैसर्स बाबा बैकर्स ट्रक स्टेण्ड के पास एन.एच.8 भीम जिला राजसमन्द पर दिनांक 25.05.2016 को समय 06..00 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । निरीक्षण करने पर उक्त फर्म जो कि एक उत्पादन इकाई हैं पर 15 किलो की गत्ता

पैकिंग में वनस्पति (ऑस्कर) बेकरी उत्पाद बिस्किट,टोस्ट,ब्रेड आदि बेकरी उत्पाद बनाने के काम में लेने हेतु रखा हुआ हैं । इन बेकरी उत्पादों का आम जनाता को विक्रय किया जाता हैं ।मिलावट का शक होने पर उक्त वनस्पति (ऑस्कर) के 15 किलो के गत्ता पैक को खुलवाकर 1600 ग्रेाम वनस्पति (ऑस्कर) हिला मिलाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 96/– किक्रेता नगद दी गई । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ वनस्पति (ऑस्कर) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा वनस्पति (ऑस्कर) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार सूखी साफ खाली कांच की बोटल्स में बराबर मात्रा में डाला जिसकी मात्रा प्रत्येक नमूना बोटल में 400 ग्राम रही एवं प्रत्येक नमूना बोटल को सील टाईट पैक किया । इस तरह चार नमूना भाग बनाए एवं एक जैसे चार लेबल तैयार कर चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें । सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर **ए.आई 562** नियमनुसार चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ.**/एफएसएसए/2016/2652** दिनांक 13.08.. 2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/**339/एक्ट/2016/343** दिनांक 14.06.2016 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ नमूना वनस्पति (ऑस्कर) सब स्टेडर्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक 3651 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणें को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षीगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लेने एवं दोबारा गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया । विपक्षी फर्म द्वारा जूर्म स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का वनस्पति (ऑस्कर) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 26 (II) का

(6)

उपयोग करते हुए उक्त केस सब स्टेण्डर्ड वनस्पति (ऑस्कर) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षीगण को कुल **15,000/– रूपये** (अक्षरे रूपया पन्द्रह हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22..01.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द